# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्याः एम0ई0–3 / यू0जी0–2024 / 2475 लखनऊ दिनांक 25/10/2024

## यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 की स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड की ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु च्वाइस फिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

- *निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेज / विश्वविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती हैं कि च्वाइस फिलिंग के पूर्व सम्बन्धित कालेज के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करें।*

- निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों की सीटो पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, अल्पसंख्यक / गैर–अल्पसंख्यक कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्क (Fee Structure) विभागीय वेबसाईट www.dgme.up.gov.in तथा www.upneet.gov.in पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही Choice Fill करें।

- रिट याचिका संख्या–6828 / 2024 यू0पी0 अनएडेड मेडिकल एण्ड एलाईड साइन्सेज कालेज वेलफेयर एसोसियएशन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.8.2024 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2024 / 1667, दिनांक 17.8.2024 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक संस्थानों के शुल्क निर्धारण के संबंध में अति महत्वपूर्ण सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि उक्त सूचना के अवलोकनोंपरांत ही च्वाइस फिल एवं लॉक करें।

- यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 के अन्तर्गत स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण / सिक्योरिटी धनराशि जमा की गयी है एवं उनके Documents Online Verification के उपरान्त वैध पाये गये हैं, ऐसे अभ्यर्थी ही च्वाईस फिलिंग की प्रक्रिया हेतु अर्ह है।

- अभ्यर्थी द्वारा राजकीय / निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन Choice Fill की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

- **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को सीट आवंटन की प्रकिया मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।**

- अभ्यर्थी द्वारा Choice Lock करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं हो सकेगा और न ही इस संबंध में महानिदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जायेगा।

- स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड की कांउसिलिंग में च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को तृतीय चक्र की काउंसिलिंग से अनावंटित(Unallotted) / अप्रवेशित(Not Admitted) एवं त्याग–पत्र(Resign) सीटें Clear-cut Vacancy के तौर पर प्रदर्शित की जायेगी।

- स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों को Seat Against Cancellation (SAC) का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। SAC सीटें एक प्रकार की Virtual vacancies है, जिसके अन्तर्गत च्वाईस–फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के रिक्त सीटो के अतिरिक्त अन्य आरक्षित श्रेणी / उपश्रेणी की सीटों का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। आवंटन प्रकिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सीटों को शासनादेश संख्याःआई0 / 700717 / 2024, दिनांक 26.07.2024 में निहित तालिकानुसार आमेलित(Merge) करते हुए आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।

- काउन्सिलिंग के संबंध मे अद्यतन / महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट **www.dgme.up.gov.in** तथा **www.upneet.gov.in** का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

**कृते महानिदेशक।**

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्याः एम0ई0–3 / 2024 / 1667 लखनऊः दिनांक 17 अगस्त, 2024

## ::अति महत्वपूर्ण सूचना::

यू0पी0 नीट काउंसिलिंग 2024 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि रिट याचिका सी संख्याः 6828 / 2024 यू0पी0 अनएडेड मेडिकल एण्ड एलाईड साईंसेस कालेज वेलफेयर एसोसिएशन व 17 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 17.08.2024 को आदेश पारित किये गये है, जिसके प्रासंगिक अंश निम्नवत है:–

**56 d. At the time of counselling the students will be informed about the fees determined for academic session 2023-24, which would be the provisional fee subject to the final fee determined by the Committee.**

**e. Upon enhancement, the arrears would be payable by the students in instalments (half yearly/quarterly) depending upon the hike recommended by the Committee, which shall also determine the number of instalments to be paid by the students.**

कृपया उपरोक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

**संलग्नक–शुल्क संबंधी शासनादेश दिनांक 02.08.2023।**

अपर निदेशक

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव
उ0प्र00 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 02 अगस्त, 2023

विषयः-शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रदेश के निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीम्ड विश्वविद्यालयों मे संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/2023/683 दिनांक-20.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए शासनादेश संख्या-I/120293/2021/71-4099/34/2021 दिनांक 08.12.2021 द्वारा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम, शासनादेश संख्या-I/120291/2021/71-4099/34/2021 दिनांक 08.12.2021 द्वारा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम, शासनादेश संख्या-I/120294/2021 /71-4099/34/2021(पार्ट-2) दिनांक 08.12.2021 द्वारा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम तथा शासनादेश संख्या-I/109712 /2021/71-4099/34/2021 दिनांक 27.10.2021 द्वारा एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम के लिए शुल्क निर्धारित किया गया हैं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त शैक्षणिक सत्र वर्ष-2021-2022 हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीम्ड विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक स्तरीय (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) एवं परास्नातक स्तरीय (एम0डी0/एम0एस0/एम0डी0एस0) पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क को ही शैक्षणिक सत्र-2023-2024 हेतु यथावत लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षणिक सत्र2023-24 में निजी क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले नये मेडिकल कालेज (एस0के0एस0 मेडिकल कालेज, मथुरा) एवं परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले निजी संस्थानों (कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, मथुरा व यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज) का शुल्क वर्ष 2021-22 की भांति औसत के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5- कृपया उपर्युक्तानुसार लिए गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by आलोक कुमार
Date: 02-08-2023 16:22:11
Reason: Approved
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

I/360946/2023

5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमंण्डी चौराहा, लखनऊ
6. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,सम्बन्धित मेडिकल/डेण्टल कालेज/डीम्ड विश्वविद्यालय, द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।